संख्या-16/2018/427 ई-2/तेरह-2018-311/2000

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 22 फरवरी,2018

विषयः- वर्ष 2018-19 के लिये थोक भांग आपूर्ति हेतु भांग का क्रय मूल्य निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-310/दो-380/57ए/लाइसेंस/2018-19/थोक भांग आपूर्ति दर/टेण्डर, दिनांक 18 जनवरी,2018 तथा पत्र संख्या-जी-323/दो-380/57ए/लाइसेंस/2018-19/थोक भांग आपूर्ति दर/टेण्डर, दिनांक 05 फरवरी,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में किये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2018-19 के लिये प्रभारवार, थोक भांग आपूर्ति दर/क्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	प्रभार का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित थोक भांग आपूर्ति दर (प्रति किलोग्राम रूपये में)
1-	आगरा, अलीगढ़ एवं झांसी प्रभार	24/-
2-	इलाहाबाद एवं चित्रकूटधाम प्रभार	20/-
3-	प्रदेश के शेष प्रभारों के लिये	19/-

आपसे अनुरोध है कि कृपया अग्रतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in